

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
 प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन एवं
 अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्ध इकाई,
 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,
 उ०प्र०।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी०आर०जी०एफ०,
 जनपद— अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ
 चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई,
 जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा,
 मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र,
 कासगंज एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी०आर०जी०एफ०) लखनऊ:

दिनांक: १५ जुलाई, 2014

विषय:—पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 की अनुमोदित वार्षिक जिला
 योजना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 674 / ३३-३-२०१४-४३ / २०१४ दिनांक
 ०९.०४.२०१४ का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा गाइडलाइन्स के अनुरूप वर्ष 2014–15 की
 वार्षिक योजना तैयार कर जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 (3) में कहा गया है कि ग्रामीण आन्तरिक मार्गों पर सी०सी०
 रोड व कै०सी० ड्रेन का निर्माण कराते समय ग्राम पंचायतों के अंश की धनराशि का उपभोग
 सर्वप्रथम डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में किया
 जाएगा।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी०आर०जी०एफ० जनपदों के
 लोहिया ग्रामों में सी०सी० रोड व कै०सी० ड्रेन निर्माण कराने के लिए सर्वप्रथम 2013–14 में
 चयनित सी०सी० रोड एवं कै०सी० ड्रेन निर्माण से असंतुष्ट समग्र ग्रामों को वार्षिक कार्ययोजना
 में सम्मिलित किया जाए और उसके पश्चात ही वर्ष 2014–15 में चयनित ग्रामों को लिया जाए।

अतः कृपया वर्ष 2014–15 की ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराते समय
 तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
 प्रमुख सचिव / अध्यक्ष,
 पी०एम०य०

३७०७०

Gen-1

पत्रांक : ९७०/३३—पी०एम०य०—२०१४—१२८४/२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. समस्त मण्डलायुक्त, बी०आर०जी०एफ० मण्डल।
२. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी०आर०जी०एफ० जनपद।
३. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), बी०आर०जी०एफ० मण्डल।
४. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, बी०आर०जी०एफ० जनपद।
५. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी०आर०जी०एफ० जनपद।
६. पंचायतीराज अनुभाग-३।

(एच० एस० चतुर्वेदी)
विशेष सचिव / परियोजना
निदेशक।
७०५०